आवास आवंटन नियमावली–2014

चैप्टर– 1

प्रस्तावना

शीर्षक – यह नियमावली वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय आवास आवंटन नियमावली 2013 कही जायेगी।

प्रधान – इस नियमावली के प्रधान, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर होंगे।

उद्देश्य – इस नियमावली का उद्देश्य इस विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों/अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी अर्हता के अनुरूप विश्वविद्यालय के आवास आवंटित करने का प्राविधान बनाना है।

प्रभावी – यह नियमावली वित्त समिति की बैठक दिनांक–28.01.2014 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01.02.2014 में लिये गये निर्णय के आधार पर प्रभावी हुई। यह पूर्व के आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

क्षेत्र – इस नियमावली का क्षेत्र केवल इस विश्वविद्यालय के कर्मियों तक सीमित होगा, किसी वाह्य संस्था या कालेज के कर्मियों के लिए नहीं।

प्रबन्धन – यह नियमावली विश्वविद्यालय के कुलपति के नियंत्रणधीन होगी।

विचलन – किसी अपरिहार्य या आकस्मिक परिस्थिति में इस नियमावली के किसी धारा (राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित व्यवस्था को छोड़कर) का विचलन करने का तत्कालिक अधिकार केवल कुलपति को होगा।

आवास आवंटन समिति – नियमावली में स्थित "आवास आवंटन समिति" ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों के आवासों का आवंटन करेगी।

आवास आवंटन–समिति के अधिकार यदि किसी आवंटी के विरूद्ध गम्भीर शिकायत होती है और जाँच में आरोप सिद्ध पाये जाते है, तो उसके आवास का आवंटन निरस्त करने का अधिकार आवास आवंटन समिति को होगा।

22. **अनुरक्षण–**

आवंटित किये गये मकान में विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार 3 से 5 वर्ष के अन्तराल पर रंगाई/पुताई का कार्य किया जायेगा ।

23. **अनिवार्य सेवा/महिला शिक्षक/महिला कर्मचारी/विकलांग–**

(I) उक्त श्रेणी के शिक्षकों, कर्मचारियों को आवास आवंटन में वरीयता दी जायेगी और विशेष रूप से ऐसी श्रेणी के वे लोग जो इस जिले के बाहर से आये है पहले उनके आवास के आवंटन पर विचार किया जायेगा।

(II) ऐसे कर्मचारी जिनकी आवश्यकता विश्वविद्यालय में 24 घण्टे रहती है, जैसे कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी के निजी स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन/प्लम्बर/जनरेटर चालक/ पम्प चालक/ड्राइवर/चिकित्सक/नर्स/कम्पाउंडर आदि अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत

माने जायेंगे और उन्हें सर्वोच्य वरीयता पर आवास आवंटित किये जायेंगे।

24. **आवास आवंटन–का आधार**

आवास का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में नियम का विचलन करके कुलपति जी द्वारा किसी को आवास आवंटित करने का अधिकार होगा।

25. **अन्य–**

(i) ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी जिनका स्वयं का या उनके पति/पत्नी का निजी मकान जौनपुर जनपद में है उन्हें आवास आवंटन में अंतिम वरीयता होगी और वे अधिकार स्वरूप आवास आवंटित करने का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ii) यदि कोई कर्मचारी / अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका वार्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत है तो उनके वार्ड को वह मकान स्वतः आवंटित नहीं हो सकेगा बल्कि वार्ड की अर्हता के अनुसार आवास आवंटन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रियानुरूप होगी।

ह0
(डा0प्रदीप कुमार)
प्रेसीडेन्ट
पू0वि0परिसर शिक्षक संघ
जौनपुर

ह0
(अमलदार यादव)
अध्यक्ष
कर्मचारी संघ
पू0विश्वविद्यालय
जौनपुर

ह0
डा0 (देवराज)
उपकुलसचिव
प्रशासन
पू0विश्वविद्यालय
जौनपुर

ह0
प्रो0 रामजी लाल)
अध्यक्ष
आवास आवटंन समिति

ह0
(वी.के. सिन्हा)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या................/पू.वि.वि./सामा0प्रशा./2014 दिनांक 07.02.2014

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. वित्त अधिकारी ।
2. प्रो0 रामजीलाल, अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति ।
3. उपकुलसचिव प्रशासन ।
4. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ ।
5. निजी सहायक, कुलसचिव, कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ ।
6. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ ।

7/2/14

कुलसचिव